"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 255] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 अक्टूबर 2005—आश्विन 15, शक 1927

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
इन्द्रावती खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2005

आदेश

क्रमांक 65/स्था./2004/1499.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 (1950 का 43) की धारा 13क की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, भारत निर्वाचन आयोग छत्तीसगढ़ सरकार के परामर्श से एतद्द्वारा श्रीमती निधि छिब्बर भारतीय प्रशासनिक सेवा (सी. जी. 1994) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेश तक के लिये छत्तीसगढ़ राज्य के संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में नामित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. आर. बांधे, पदेन अवर सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.